

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)**

क्रमांक/HG/संविदा नियुक्ति/2022 **2554**

कबीरधाम दिनांक **22 MAR 2022**

"संविदा भर्ती विज्ञापन वॉक-इन "

संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के पत्रानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग सत्र 2021-22 हेतु Health Grants के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (UHC) में निम्नानुसार रिक्त पदों हेतु (वाक-इन) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ लिखित/कौशल परीक्षा एवं मेरिट आधार पर चयन हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों के सम्मुख दर्शाये निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

पंजीयन हेतु निर्धारित समय

: सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

पात्र सूची का प्रकाशन

: दोपहर 1:30 बजे तक

दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय

: दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक

क्र.	पद नाम	कुल रिक्त पद	कुल रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण				शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification	संविदा आधारित मासिक वेतन	वॉक-इन तिथि
			UR	ST	SC	OBC			
1	Class 4	4	2	1	0	1	10th passed	10,000/-	12 अप्रैल 2022
2	MPW (M)	4	2	1	0	1	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology subject. One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Government with Live Registration in Chhattisgarh Paramedical Registration Council.	14,000/-	12 अप्रैल 2022
3	Jr. Secretarial Assistant	4	2	1	0	1	12 th pass with at least 1 Year Computer Diploma	12,000/-	13 अप्रैल 2022
4	Staff Nurse	4	2	1	0	1	01- B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing 02- General Nursing and Midwifery (GNM) with Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council (Final Merit List Prepared on the basis of order of priority, like 1 & 2)	16,500/-	19 अप्रैल 2022

नियम एवं शर्तें:-

1. संविदा मानदेय-संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
2. संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 01 जनवरी से की जावेगी।
3. प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा **DISTRICT HEALTH SOCIETY, KAWARDHA** के नाम से जारी डीडी (Demand Draft) बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।



भर्ती हेतु आवेदन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार लिया जाना होगा-

संवर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग	200 रु.
अनारक्षित संवर्ग	300 रु.

- विज्ञापित पद अनुरूप चयन प्रक्रिया हेतु वॉक-इन के माध्यम से लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन वांछनीय अर्हता की मेरिट सूची के आधार पर किया जावेगा।
- अनुभव के अंक मेरिट सूची में योग कर ही लिखित/कौशल परीक्षा सूची जारी किया जावेगा। चतुर्थ वर्ग हेतु मेरिट सूची एवं अनुभव के योग आधार पर चयन किया जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दिया जायेगा।
- प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जायेगा-

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

(उक्त विज्ञापन हेतु 4-4 पद भर्ती हेतु 40-40 अभ्यर्थियों को कौशल/लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।)

- लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची :-
 - अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का-65 प्रतिशत।
 - अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित के ही मान्य किये जायेंगे। [एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक]
 - अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित/समकक्ष पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- अंतिम चयन सूची :-
 - पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
 - अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का-65 प्रतिशत।
 - अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित के ही मान्य किये जायेंगे। [एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु

2 अंक) अधिकतम 10 अंक} जी.एन.एम./नर्सिंग तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थियों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जायेगा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।

- 10.4. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 10.5. कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
- 10.6. कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जायेगा।
- 10.7. अंतिम प्रावीण्य सूची निर्धारित अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60/65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार किया जायेगा। जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता क्रम में दर्शित हो वहाँ पर अंतिम चयन हेतु प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही रहेगी।
- 10.8. उक्त भर्ती में जिला कबीरधाम के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा जिले में पात्र मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार प्राथमिकता दिया जावेगा।
12. प्रतीक्षा सूची :- उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
13. दावा-आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा, आवेदन में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर समितियां इन दावा-आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा-आपत्ति एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगी। चयन समिति अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण कर सकेंगे। दावा-आपत्ति के तिथि के पश्चात किसी भी दावा/आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा एवं विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी कोई भी दस्तावेज स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।
14. अभ्यर्थियों को आनलाईन/लिखित/प्रायोगिक परीक्षा संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट में समय-समय पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट <http://kawardha.gov.in> पर देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जायेगा।
15. चयनित होने पर उपस्थिति के समय निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति, निवास प्रमाण पत्र
- संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
- विशेष छुट हेतु प्रमाण पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज

16. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
17. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
18. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होंगे तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
19. संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधी के दौरान त्यागपत्र दिया जाता हो तो नियुक्तकर्ता अधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय के समतुल्य राशि जमा करना होगा।
20. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की दशा में नियोक्ता द्वारा समान सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी को होगा। सेवा समाप्ति के लिए एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
21. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
22. वार्षिक कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन में 40 से कम अंक प्राप्त होने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा प्रत्येक स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
23. वार्षिक कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकुल टिप्पणी किये जाने की स्थिति में कारण अनिवार्य रूप से अंकित किया जावेगा अन्यथा प्रतिकुल टिप्पणी मान्य नहीं होगा।
24. संविदा समाप्ति के पश्चात कर्मचारी को समस्त फाईल, रिकार्ड, चाबी एवं अन्य सुविधाएं व सामग्री जो कार्यालय की सम्पत्ति होगी, वापस करना अनिवार्य होगा।
25. किसी भी संविदा कर्मचारी द्वारा बिना किसी सूचना के, अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थिति रहने पर 30 दिवस या अधिक पूरे वित्तीय वर्ष में अनाधिकृत अनुपस्थिति होने की दशा में सेवा से पृथक किया जावेगा।
26. उक्त कर्मचारियों हेतु शासन द्वारा निर्धारित 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश व 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही शासन के नियमानुसार मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश हेतु भी उक्त कर्मचारी पात्र होंगे तथा अवकाश के संबंध में समय-समय पर शासन पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
27. आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के निर्णय अनुसार अन्य निर्देश व शर्तों को लागू की जा सकती है।



3. यह नियुक्तियाँ पन्द्रहवें वित्त आयोग के अधीन होंगी। अतः यह समस्त कर्मचारी पन्द्रहवें वित्त आयोग के होंगे।
29. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थायी होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्यमुल्यांकन किया जायेगा। वार्षिक कार्यमुल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
30. यह नियुक्तियाँ वार्षिक कार्यमुल्यांकन के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए होंगी तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग की कार्यवाही के अनुसार निर्धारित होंगी।
31. भर्ती उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान पन्द्रहवें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन देय होगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय नहीं दिया जायेगा।
32. उक्त भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
33. पद क्रमांक 4 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत लिया जायेगा। साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. मे कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)। जी.एन.एम./नर्सिंग तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थियों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जायेगा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।
34. पद क्रमांक 2 एवं 3 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत लिया जायेगा। साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. मे कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)
35. पद क्रमांक 4 हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत लिया जायेगा। तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. मे कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक) तथा मेरिट के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जायेगा।
36. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का अनुबंध पत्र (बॉण्ड) भरना अनिवार्य होगा।
37. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय चयन समिति एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छ.ग. का होगा।
38. अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र/एफ 1-67/2021/सत्रह/एक नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 के पत्रानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्धारित मापदण्डों तहत अनुभव हेतु 10 अंक बोनस प्रदाय किया जायेगा। जो कि अनुभव के कुल 10 अंक से ज्यादा नहीं हो सकेगा।
39. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा लिफाफे के उपर पदनाम एवं श्रेणी का उल्लेख किया जाना होगा।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-कबीरधाम छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

स्व
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज
फोटो

आपका विज्ञापन दिनांक में पन्द्रहवें वित्त आयोग अंतर्गत विज्ञापित पद (पद का नाम)..... के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :.....
आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. माता का नाम :.....
4. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष..... माह..... दिनांक.....
(ब) आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में : वर्ष..... माह..... दिन.....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. जाति (सामान्य./अजा/अ.ज.जा/अ.पि.व.) :.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. लिंग (पुरुष/महिला अन्य) :.....
7. छ.ग. का मूल स्थानीय निवासी है या नहीं :.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं :.....
 - 8.1 विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :.....
 - 8.2 भूतपूर्व सैनिक हों/नहीं :.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. स्थायी निवास का पता :.....
:.....
:.....
:.....
:.....
10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :.....
:.....
:.....
:.....
मोबाईल नं.:..... दूरभाष नं.
ई-मेल आई.डी.:.....

11. आवेदक शुल्क -

संवर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा.	100 रु.
महिला	100 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग	200 रु.
अनारक्षित संवर्ग	300 रु.

(आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से DISTRICT HEALTH SOCIETY, KAWARDHA के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कवर्धा में देय होगा, डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा)

12. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : डी.डी. क्रमांक दिनांक
बैंक का नाम राशि

13. शैक्षणिक योग्यता :- वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)
शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

14. अनुभव:- पद अनुसार चाही गयी वांछित अनुभव का ही विवरण भरा जावे)
निजी संस्था या अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

क.	संस्थान का नाम	पदनाम	कुल अनुभव	कार्य विवरण

15. क्या आप विवाहित है। (हाँ/नहीं) :

16. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों की सूची व संख्या :-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. दसवी एवं बारहवी की अंकसूची | 5. जाति प्रमाण पत्र स्थायी/सत्यापित |
| 2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर/वर्षों का) | 6. विकलांग प्रमाण पत्र जीवित |
| 3. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र | 7. मूल निवास प्रमाण पत्र |
| 4. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र | 8. बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति |
| | 9. अनुभव/अन्य |

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता